संख्या -26/2021-778/58-2021-24/2019

प्रेषक

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन की योजना में अवशेष रिवैलिडेटेड केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-138/बजट/2020-21, दि0 10.03.2021 एवं पत्र संख्या-150/बजट/2020-21, दि0 19.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149 /दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू.1061.11 लाख में राज्यांश की धनराशि रू.707.42 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि रू.1149.35 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू.2917.88 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-39/2020-991/58-2020 -24/2019 दिनांक 08.07.2020 के माध्यम से धनराशि रू.1000.00 लाख (केन्द्रांश-रू.600.00 लाख तथा राज्यांश-रू.400.00 लाख) तथा शासनादेश संख्या-05/2021-1963/58-2020-24 /2019 दिनांक 28.01.2021 द्वारा उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि रू.1000.00 लाख के सापेक्ष अतिरिक्त राज्यांश धनराशि रू.666.17 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रु0 17990.29 लाख अवमुक्त की गयी। इस प्रकार विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवशेष अप्रयुक्त केन्द्रांश धनराशि रू.1061.11 लाख के सापेक्ष धनराशि (रु0-1061.11लाख-रु0-600.00 लाख) रू.461.11 लाख केन्द्रांश मद में अवमुक्त हेतु शेष है। इस अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू.461.11 लाख में राज्यांश धनराशि रू.307.41 लाख तथा अतिरिक्त राज्यांश रू.483.19 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू.1251.71 लाख (रूपये बारह करोड़ इक्यावन लाख इक्हत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-10 (धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा	27-सब्सिडी	21109.64	18588.88	2520.76	1190.87
	42-अन्य व्यय	606.01	324.19	281.82	60.84

http://shasanadesh.up.gov.in

वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के.60/रा.40-के. +रा.)	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	77.22	77.22	0	0
	योग-	21792.87	18990.29	2802.58	1251.71

(रूपये बारह करोड़ इक्यावन लाख इक्हत्तर हजार मात्र)

(1) वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित आउटले एवं राज्य सरकार द्वारा एस.एल.एस.सी में निर्धारित लक्ष्यों/कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन लेते हुए धनराशि व्यय किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुरुप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। योजना का संचालन निर्दिष्ट कार्ययोजना एवं एल0एल0एस0सी के अनुमोदन सीमांतर्गत ही किया जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(6) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि की उपलब्धता के संबंध में वित्त नियंत्रक, उद्यान सुनिश्चित हो लेंगे।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(9) सामग्री क्रय में एम0एस0एम0ई0, वित्त एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन किया जाये।

(10) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय किसी अन्य योजना में द्विरावृत्ति न हो।

(11) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020 -231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020 /बी-1-192/ दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1- 196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/ बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(13) योजनान्तर्गत अन्य व्यय एव प्रशिक्षण मद में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश 60:40 निहित होगा। सब्सिडी मद में केन्द्रांश, राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश का अनुपात शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2015, दिनांक 12.07.2017 के अनुसार निहित होगा।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(15) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय नियमानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(17) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहाँ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(18) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगीः-

i. वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्धांत पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।

ii. योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

iii. लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी.डी.सी.) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

iv. लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति, जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(19) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(20) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(21) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र, 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(22) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(23) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(24) वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(25) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(26) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(27) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-यू0ओ0-ई-1-360/दस-2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-26 /2021-778(1)/58-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-7-3/2020-आर0एफ0एस0-III दिनांक 15.04.2020 के संदर्भ में।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।

5- निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in